

अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड

कटूमर जिला अलवर




2/21/19

तारीख रज. 6/02/19

रमेश

बनाम

शिवराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.02.2019	<p>वकील सायला उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील सायला ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की तार्ईद में वकील सायला ने शपथ पत्र, नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया। वकील सायला को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायला के पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0नं0 195 रकबा 0.34 है0 का 1/2 हिस्सा वाके ग्राम कटहडा हसील कटूमर में विवादित आराजियात की रिकॉर्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखें।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 26.03.2019 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 26.03.2019 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">   उपखण्ड अधिकारी  कटूमर (अलवर) </p> <p>   मुद्राव कोरीकेन रूप०/P.O.  वाह्व 20/5/19  पत्रावली दिनांक 20/5/19  को पेश हो। </p> <p>   मुद्राव कोरीकेन रूप०/P.O.  वाह्व 08/7/19  पत्रावली दिनांक 8/7/19  को पेश हो। </p>	<p style="text-align: center;">157 6/2/19</p> <p style="text-align: right;">-कल बिल 88</p>

20/5/19

20.5.19

मुद्राव कोरीकेन रूप०/P.O.  
वाह्व 20/5/19  
पत्रावली दिनांक 20/5/19  
को पेश हो।

मुद्राव कोरीकेन रूप०/P.O.  
वाह्व 08/7/19  
पत्रावली दिनांक 8/7/19  
को पेश हो।

64

तारीख हुक्म


हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अहमद  
की तारीख

14/12/23

  
MS

पत्रावली काउं वकील डाकी के पास से जम्मे  
पु उनके खर्चमाने के कारनामे काफेरा मरु  
लख के गडी वकील जमी के कारनामे - पत्रावली  
का अपने कारनामे - पत्रा मरु को वकील से  
पु खारिज कए जाणे का निकेहन बिना  
पत्रा जम्मे - पत्रावली का अकलोजन बिना  
कारनामे, जमी का कारनामे - पत्रा मरु  
वकील डाकी के कारनामे - पत्रा अकलोजन  
वकील से पत्रा खारिज बिना जाता है  
पत्रावली का मरु शुक्रा के मरु शुक्रा  
के साथ लख (हे मरु)

  
अधिकारी  
कसूर (अलवर) राज